

प्रेस नोट:-थाना शेरकोट पुलिस द्वारा 15 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी / शातिर चोर अवैध तमन्चा व कारतूस तथा अपने 02 अन्य साथी सहित गिरफ्तार।

डॉ० धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद मे चलाये जा रहे नकबजन ,चोर एवं लुटेरे अपराधियो के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत व श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेतृत्व व श्रीमति सुनीता दहिया क्षेत्राधिकारी अ०गढ के कुशल प्रयवेक्षण मे थाना शेरकोट पुलिस द्वारा ग्राम हाफिजाबाद वाले रोड पर दिनांक 09.01.2021 को समय करीब 17.40 बजे चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त 1. शिवकुमार पुत्र नत्थू सिंह नि० ग्राम हाफिजाबाद थाना शेरकोट बिजनौर 2.राशिद पुत्र मल्लन खां नि० ग्राम तिपरजोत थाना शेरकोट जनपद बिजनौर 3. शीशराम पुत्र नरपत सिंह नि० ग्राम आलमपुर गावडी थाना अ०गढ जनपद बिजनौर को मय 01 रास चोरी की भैंस दुधारु रंग काला गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शेरकोट पर पंजीकृत मु०अ०स०-332/20 धारा 379/411 भादवि के वांछित है जो शातिर किस्म के अपराधी है और काफी समय से पुलिस से छुपते घूम रहे थे। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अभि० शीशराम उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। अभि०गण की जामा तलाशी में शीशराम उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कार० 315 बोर व 4860 रुपये भैंस चोरी के बरामद हुये।

गिरफ्तार किये गये अभि० का नांम व पता:-

- 1- शिव कुमार पुत्र नत्थू सिंह नि० ग्राम हाफिजाबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2- शीशराम पुत्र नरपत सिंह नि० ग्राम आलमपुर गावडी थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
- 3- राशिद पुत्र मल्लन नि० ग्राम तिपरजोत थाना शेरकोट जनपद बिजनौर





बरामदगी:-

- 1- 01 रास भैस दुधारु रंग काला
- 2- 01 तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस , 4860 रुपये भैस चोरी के ।

आपराधिक इतिहास अभि० शिव कुमार उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०सं० 332 / 20 धारा 379 / 411 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०स०-125 / 89 धारा 392 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०स०-316 / 97 धारा 60 आ०अधि० थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि० शीशराम उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०स०-209 / 02 धारा 452 / 376 / 506 भादवि थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
2. मु०अ०स०-18 / 04 धारा 392 / 411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. मु०अ०स०-887 / 09 धारा 392 / 411 भादवि थाना रजबपुर जनपद अमरोहा
4. मु०अ०स०-570 / 09 धारा 110 जी थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
5. मु०अ०स०-919 / 01 धारा 25 आम्स एक्ट थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
6. मु०अ०स०-250 / 10 धारा 4 / 25 आम्स एक्ट थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
7. मु०अ०स०-252 / 12 धारा 356 भादवि थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
8. मु०अ०स०-119 / 09 धारा 25 आम्स एक्ट थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
9. मु०अ०स०-147 / 14 धारा 392 भादवि थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
10. मु०अ०स०-152 / 14 धारा 458 / 380 / 511 भादवि थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
11. मु०अ०स०-254 / 17 धारा 4 / 25 आम्स एक्ट थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
12. मु०अ०स०-164 / 15 धारा 25 आम्स एक्ट थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
13. मु०अ०स०-456 / 14 धारा 25 आम्स एक्ट थाना अ०गढ जनपद बिजनौर
- 14.मु०अ०स०-100 / 18 धारा 379 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 15.मु०अ०स०-332 / 20 धारा 379 / 411 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
16. मु०अ०स०-05 / 21 धारा 3 / 25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि० राशिद उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०स०-332 / 20 धारा 379 / 411 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- श्री अनुज कुमार तोमर थानाध्यक्ष शेरकोट, 2-उ०नि० श्री ब्रहमपाल सिंह 3-उ०नि० श्री हरीश कुमार
- 4- का० 879 योगेन्द्र सिंह, 5- का० 108 विजेन्द्र सिंह 6-का० 862 सुजीत कुमार थाना शेरकोट बिजनौर ।

थाना मंडावली:- पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.01.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा गुलालवाली जंगल से अभि० जसवंत उर्फ जस्सी पुत्र जीत सिंह निवासी साहनपुर नानू थाना नजीबाबाद बिजनौर को 100 लीटर अवैध शराब, 1000 लीटर लाहन व शराब बनाने के उपकरण तथा यूरिया सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा लाहन को नष्ट कर थाना मंडावली पर मु०अ०सं० 10/21 धारा 60 (2) आबकारी अधि० व धारा 272 भादवि० पंजीकृत किया गया है।



थाना रेहड़:- आज दिनांक 10.01.2020 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा बेगराज पुत्र सुन्दर सिंह निवासी ग्राम मछलीमार थाना रेहड़ को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना रेहड़ पर मु०अ०सं० 05/21 धारा 60 आबकारी अधि० बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



जनपद बिजनौर दिनांक-10.01.2021



आज दिनांक 10.01.2021 को थाना नूरपुर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा गाँव तथा थाना क्षेत्र में जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।





आज दिनांक 10.01.2021 को थाना को0देहात पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

